राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग–3 त0ना0त0,
संख्याः 2040 / 3– त0ना0त0–35 एन0टी0 / 2020
लखनऊ। दिनांकः 30 जून, 2020

आदेश / नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2017 के आधार पर नायब तहसीलदार पद हेतु चयनित निम्न तालिका में अंकित अभ्यर्थियों को मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली–2003 यथासंशोधित के नियम–20 (1) के अन्तर्गत नायब तहसीलदार के पद पर वेतनमान रूपया 9300–34800 ग्रेड वेतन रूपया 4200 / – (सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत लेवल–6 में वेतन रू0 35400 / –) में नियुक्ति प्रदान करते हुए, उनके नाम के सम्मुख तालिका के **स्तम्भ–5** में अंकित जनपद में तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:––

कमांक	रैंक	नाम	पिता / पति का नाम	प्रस्तावित तैनाती जनपद
1	2	3	4	5
1.	6	श्री सम्पूर्ण कुलश्रेष्ठ	श्री आर0एन0कुलश्रेष्ठ	इटावा
2.	14	सुश्री शिवानी शर्मा	श्री सुनील कुमार शर्मा	सहारनपुर
3.	25	श्री विपिन वर्मा	श्री श्याम लाल वर्मा	गोरखपुर
4.	33	सुश्री नेहा मिश्रा	श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा	अयोध्या
5.	36	सुश्री कुमकुम मिश्रा	श्री सुभाष मिश्रा	बाराबंकी
6.	42	श्री गौरव यादव	श्री मनीष यादव	ललितपुर
7.	44	श्री पंकज यादव	श्री के0के0एस0 यादव	जालौन
8.	47	श्रीमती शैल कुमारी	श्री राम प्रीत यादव	बलरामपुर
9.	49	श्री प्रियंक सिंह	श्री सत्य प्रकाश चौधरी	कानपुरनगर
10.	55	श्री दिलीप कुमार	श्री उमा शंकर	सीतापुर
11.	59	श्री मुकेश कुमार वर्मा	श्री शिवराम वर्मा	देवरिया
12.	69	श्री हेमन्त कुमार	श्री सत्यवीर	मथुरा
13.	73	श्री आदेश कुमार	श्री मांगेराम	बागपत
14.	78	श्री नीरज कुमार	श्री राम राज राम	वाराणसी
15.	84	श्री दीपेन्द्र कुमार	श्री प्रमोद कुमार	झाँसी
16.	86	श्री विनोद कुमार	श्री राम आसरे	ललितपुर

17.	96	श्री अरूण कुमार	श्री देशपाल सिंह	मैनपुरी
18.	105	सुश्री रोशनी सोलंकी	श्री आर0पी0 सिंह सोलंकी	झाँसी
19.	112	श्री गौरव कुमार	श्री जय प्रकाश गौड़	सिद्धार्थनगर
20.	114	श्री अमृत लाल	श्री छगनलाल	उन्नाव

2— उपर्युक्त अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली—2003 (यथासंशोधित) के नियम—18 में विहित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के पश्चात् साढ़े चार माह के प्रशिक्षण हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

3— उपर्युक्त अभ्यर्थियों द्वारा जब तक नियुक्ति के पश्चात साढ़े चार माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नही कर ली जाती है, तब तक उपर्युक्त अभ्यर्थियों से न्यायिक कार्य नही लिया जायेगा।

4— उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन होगी :—

(क) उक्त नियुक्त अभ्यर्थी नायब तहसीलदार सेवा नियमावली—2003 के नियम —21 के अधीन यथा उल्लिखित तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगें।

(ख) उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को साढ़े चार माह का विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षणोपरान्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(ग) उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली—1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी किन्तु अभ्यर्थी द्वारा विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, तो वह अपनी ज्येष्ठता को खो देगा तथा उसकी संशोधित ज्येष्ठता कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुरूप निर्धारित की जायेगी।

(घ) उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को नायब तहसीलदार पद हेतु विहित विभागीय परीक्षा उनके परिवीक्षाकाल में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(च) यद्यपि यह नियुक्ति आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण करने के उपरान्त की जा रही है तथापि यदि भविष्य में यह संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रमाणीकरण प्रपत्र में दी गयी जानकारी के अन्तर्गत कोई ऐसा तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई अन्य प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, जो उसे शासकीय सेवा के लिए अनर्ह करता हो, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व परिषद के आदेश से,

ह0/—

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि श्री / सुश्री...

.... को इस आशय से प्रेषित कि इस नियुक्ति पत्र की प्राप्ति के पश्चात् जिलाधिकारी, ... के समक्ष नायब तहसीलदार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अविलम्ब उपस्थित होने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राम सिंहासन'प्रेम')
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी इटावा, सहारनपुर, गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी, ललितपुर, जालौन, बलरामपुर, कानपुर नगर, सीतापुर, देवरिया, मथुरा, बागपत, वाराणसी, झाँसी, ललितपुर, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर व उन्नाव को इस आशय से प्रेषित कि अपने जनपद से सम्बन्धित नायब तहसीलदार के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अविलम्ब परिषद को उपलब्ध कराने के साथ ही उपरोक्त बिन्दु–3 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2– अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–9, लखनऊ।

3– अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, कार्मिक अनुभाग–4, लखनऊ।

4– सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।

5– मा0 अध्यक्ष / आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के अवलोनार्थ द्वारा निजी सचिव।

6– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन0आई0सी0) कम्पयूटर प्रकोष्ठ, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

7– चरित्र पंजी सहायक / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

30/6/2020

(राम सिंहासन'प्रेम')
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।